

TENDER DOCUMENT



मप्र वन विभाग

निविदा – वन मण्डल दक्षिण शहडोल अंतर्गत वन
परिक्षेत्र केशवाही अंतर्गत लाईन क्वार्टर भवन निर्माण
के संबंध में निविदा

कार्यालय – वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल
वनमण्डल जिला-शहडोल 484001 (म.प्र.)

Email- dfotsshahd@mp.gov.in

Mob- 9424794430

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल वनमण्डल
जिला- शहडोल 484001 (म.प्र.)

PHONE ☎-07652-240304, FAX-07652-240304E_MAIL-dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक / स्टोर / 2025 / 6385

शहडोल, दिनांक 9-7-25

निविदा दस्तावेज

विषय सूची

अनुभाग सं.	विवरण	पेज
खंड-I	ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	3
खंड - II	बोलीदाता को निर्देश (आईटीबी)	
	A. महत्वपूर्ण तिथियां एवं सामान्य जानकारी B. बोली दस्तावेज C. बोली खोलना और उसका मूल्यांकन D. अनुबंध का पुरस्कार E. अन्य नियम और शर्तें	5 6 8 8 10
	अनुलग्नक 1 से 7	12-18

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल वनमण्डल जिला-शहडोल 484001 (म.प्र.)

PHONE -07652-240304, FAX-07652-240304 EMAIL-dfossahdol@mpforest.org, dfotssahd@mp.gov.in
क्रमांक / एन0आई0टी0 / ई-टेंडर / 2025 / शहडोल दिनांक

खंड - I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई निविदा आमंत्रण सूचना -संख्या. ~~6325~~ - /ई-टेंडरिंग/2025-26 दिनांक 09-07-2025
वन मण्डल दक्षिण शहडोल के वन परिक्षेत्राधिकारी केशवाही अंतर्गत लाईन क्वार्टर भवन निर्माण के हेतु <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु सामग्री का विवरण एवं स्पेशिफिकेशन निम्नानुसार है :-

PRODUCT SPECIFICATIONS

क्र.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	निविदा दस्तावेज का मूल्य
1	वन परिक्षेत्राधिकारी केशवाही अंतर्गत लाईन क्वार्टर भवन निर्माण कार्य मय सामग्री सहित स्थल - वन परिक्षेत्र केशवाही भवन का नाम - लाईन क्वार्टर भवन लाईन क्वार्टर भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा स्पेशिफिकेशन प्रोजेक्ट अनुसार होंगे। (प्रोजेक्ट प्राक्कलन निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है)	01 नग भवन	1000 (One Thousand Rupees only

- निविदा प्रपत्र म0प्र0शासन की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें। निविदा संबंधी सामान्य जानकारी वन विभाग की वेबसाईट <https://mpforest.gov.in> पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
- यह निविदा दक्षिण शहडोल वनमंडल के लिये सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित की जा रही है।
- सामग्री क्रय हेतु निविदा की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर आनलाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जावेगी।
- निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण आनलाईन देखी जा सकती है :-

विवरण	दिनांक	समय
Tender Publishing Date & Time	Date 11/07/2025 Time 03:00 PM	निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
Tender Sale Start Date & Time	Date 11/07/2025 Time 03:00 PM	
Pre Bid Meeting Date	Date Time AM	
Bid Submission Start Date & Time	Date 11/07/2025 Time 03:00 PM	
Bid Submission closing Date & Time	Date 04/08/2025 Time 11:00 AM	
Bid Opening Date & Time	Date 05/08/2025 Time 11:30 AM	

- यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्य दिवस पर दोहपरा 01:00 बजे खोली जावेगी।
- प्रक्रिया-1** निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये राशि 1000.00 रुपये: (एक हजार रुपये मात्र) है। इसे ऑनलाईन जमा किया जाना है। जमा की रसीद को निविदा के साथ अपलोड करना है।
- प्रक्रिया-2** तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया-1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित अपलोड किये गये दस्तावेज देखा जावेगा।

8. **प्रक्रिया-3** तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया-2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों को ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।
9. **प्रक्रिया-4** वित्तीय निविदा ओपन किये जाने पश्चात एवं L1 निविदाकार को सामग्री प्रदाय हेतु चयनित किया जावेगा।
10. निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल/एम0पी0 ई-टेण्डर पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
11. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
12. निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
13. ई-खरीद पोर्टल :- <https://www.mptenders.gov.in>


(श्रद्धा पन्दे)
वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण शहडोल वनमण्डल

खंड II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

A. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्रमांक	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	वन मण्डल दक्षिण शहडोल के वन परिक्षेत्राधिकारी केशवाही अंतर्गत लाईन क्वार्टर भवन निर्माण कार्य करने के संबंध में निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	संख्या <u>6385</u> दिनोंक <u>09-01-2025</u>
3	निविदा शुल्क / निविदा दस्तावेज की लागत	1000/- प्रोसेसिंग फीस + एवं पोर्टल फीस (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	बयाना राशि/EMD Amount	1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार रुपये)
5	बोली प्रस्ताव वैधता	वर्ष 2025-26
6	निष्पादन सुरक्षा	टेण्डर मूल्य का 03 प्रतिशत
7	अनुमानित निविदा मूल्य	48,30,000/- (अठतालिस लाख तीस हजार रुपये)
8	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय	निल
9	बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	Date 20/01/2025 Time 11:00 AM
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	Date 21/01/2025 Time 11:30 AM
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	Date 21/01/2025 Time 11:45 AM
12	प्रस्तुतिकरण प्रकार	ऑनलाइन सबमिशन https://mptenders.gov.in/ पर करें

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता प्रस्ताव सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी के बीच आपसी समझौते के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल के बीच आपसी समझौते के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
3. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह आरएफपी ग्राहक द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
4. प्रति निविदाकार एक निविदा
 - 4.1. निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक-6 में दी गई है।

- 4.2. कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदाएँ प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो बोलीदाता द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएंगी।
5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा, और इसके लिये विभाग/सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्र का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्च निविदाकार को ही वहन करनी होंगी।

B. निविदा दस्तावेज

7. निविदाकारों को अपनी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-

1. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र
2. फर्म के अधिकृत व्यक्ति या प्रोपराईटर का आधार कार्ड
3. पैन कार्ड
4. पिछले 3 वर्षों के लिए आयकर रिटर्न, वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) का
5. 100 रुपये के स्टॉप पेपर पर अनुलग्नक - 1 (काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण-पत्र)
6. अनुलग्नक - 2 (निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण)
7. अनुलग्नक - 3 (सामग्री प्रदाय हेतु साईट संतुष्टि प्रमाण पत्र)
8. अनुलग्नक - 4 (पूर्व योग्यता मापदंड)
9. दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण (जो जीवित अवस्था में होना है।)
10. सी0ए0 प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र। पिछले तीन वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) का।
11. एमएसई प्रमाणपत्र यदि ईएमडी छूट मांगी गई हो।
12. स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव (अनुलग्नक 4 - खंड (i) और (ii)) से छूट का दावा किया जाता है)
13. निविदाकार को अपलोड किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों में अपने फर्म की सील एवं अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनकी निविदा निरस्त की जावेगी।
14. निविदाकार को अपलोड की जाने वाले दस्तावेज अच्छे पठनीय पी0डी0एफ0 फॉर्मेट में अपलोड किया जाना होगा यदि अपलोड किये गये दस्तावेज पठनीय नहीं होंगे तो उनके उस दस्तावेज को अमान्य किया जावेगा।

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

9. निविदा-पूर्व बैठक (जहां लागू हो)

जहां कहीं भी बोली दस्तावेज में बोली-पूर्व बैठक का प्रावधान है।

- 9.1. स्थान, तिथि और समय का विवरण ई-निविदा आमंत्रण सूचना में दिया जाएगा। प्री-बिड मीटिंग के शेड्यूल में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट पर ही सूचित किया जाएगा और बोलीदाताओं को अलग से सूचना नहीं दी जाएगी।
- 9.2. कोई भी संभावित निविदाकार निविदा-पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न पूछ सकता है और/या स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और

उस बैठक में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवाल के जवाब देना है। ग्राहक अपनी इच्छानुसार ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है, जो उसे आवश्यक लगे।

9.3. निविदा-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त, जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए उत्तर वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

9.4. निविदा-पूर्व बैठक के अनुसार यदि निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझा जावेगा, तो यह ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10. सत्यकार निधि (ईएमडी)

10.1 सत्यकार निधि राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) की कड़िका 14 के अनुसार की जानी है।

10.2 सत्यकार निधि (ईएमडी), निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा पर विचार नहीं किया जाएगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

10.3 सफलतापूर्वक ईएमडी जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारों की ईएमडी राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

10.5 ईएमडी जप्त की जा सकती है :-

10.5.1 यदि कोई बोलीदाता बोली वैधता अवधि या उसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या अपनी उद्धृत कीमतों में वृद्धि करता है;

या

बोली प्रक्रिया के दौरान, यदि बोलीदाता जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे बोली मूल्यांकन और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया खतरे में पड़ जाए या अनावश्यक रूप से विलंबित हो जाए;

या

सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा जमा करने में विफल रहता है;

अथवा

बोली प्रक्रिया के दौरान यदि बोली में कोई जानकारी गलत/छेड़छाड़ की गई/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 ईएमडी जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

11. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से दो-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना से संबंधित सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम व शर्तें, इसके बाद वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।

12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने, बोलियां ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के दिशानिर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

13. पूर्व-योग्यता मानदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। बोलीदाताओं को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा बोली को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

14. तकनीकी निविदायें पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।

15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा बोली के किसी भी भाग में बोली मूल्य का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन तथा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए मात्रा बिल (BOQ) के अनुसार अपलोड करनी होगी।

17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में सभी लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिये

उत्तरदायी होंगे जो की संपूर्ण भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।

18. सभी सम्भावित निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे वनमण्डल दक्षिण शहडोल अंतर्गत क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से परिचित होना होगा। इस संबंध में निविदाकर्ता को एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) भरना होगा। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक-1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार निविदादस्तावेजों के साथ रुपये 100 के स्टाम्प पेपर पर एक स्व-घोषणा - "नो ब्लैकलिस्टिंग सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करना होगा।

C. निविदा खोलना एवं उसका मूल्यांकन

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिला किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकारी सुरक्षित रखता है।
21. निविदाकर्ता प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति TEC निविदा की जांच करके यह निर्धारित करेगा कि वे पूर्ण, उत्तरदायी हैं या नहीं और बोली प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।
[गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मूल आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियां या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।]
22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों की वित्तीय बोलियां खोलेगा।
23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा तथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जावेगा।
25. किसी भी सशर्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
26. **त्रुटियाँ और सुधार:-** अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगा- "यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य को मान्य किया जाएगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी"।
27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने, तथा निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा या प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को निविदाकर्ता द्वारा की गई कार्यवाही के कारणों के बारे में सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

D. अनुबंध का पुरस्कार

28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे जिनके पास उक्त वस्तुओं के लिए सबसे कम दरें हैं।
29. नियोक्ता सफल निविदाकारों को "स्वीकृति पत्र" (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है। सफल बोलीदाता को अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृतिपत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग-II "महत्वपूर्ण तिथियाँ/सूचना" पृष्ठ के क्रमांक 6 में

निर्दिष्ट राशि ग्राहक को करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में 'वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल, जिला शहडोल के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि 3 महीने अवधि के लिये होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिये बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालांकी, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है। निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर निष्पादन सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी। अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालांकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अनुरूप जावेगी।

31. निविदाकर्ता को इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार प्रदर्शन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :-
- I- निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिये निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
 - II- निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अनुबंध के दौरान किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
 - III- यदि निविदाकार लगातार तीन बार निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति अनुत्तरदायी है।
 - IV- निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।
32. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर
- 32.1. सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। 7 दिनों के भीतर एलओए जारी करने की तिथि। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।
 - 32.2. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा ठेकेदार को कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
 - 32.3. सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा (यदि कोई हो) जमा करने या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, बोलीदाता के विरुद्ध कार्रवाई करने के ग्राहक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी सत्यंकार राशि / ईएमडी राशि जप्त कर ली जाएगी।
33. निविदाकर्ता इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और बोलीदाता को काली सूची में डाला जा सकता है।
34. यह अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, जो ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर होगा। सभी कानूनी विवाद केवल न्यायालय जिला शहडोल के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

E. अन्य नियम एवं शर्तें

35. वितरित किए जाने वाले सामान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुरूप होने चाहिए तथा संबंधित विद्, सामान्यतः जहां अपेक्षित हो, वितरित उत्पाद पर प्रतिबिंबित होना चाहिए।
36. ब्लैक स्टोन, क्रशड एग्रीगेट और रेत की आपूर्ति के संबंध में, सफल निविदाकार को प्रत्येक बिल/चालान के साथ रॉयल्टी रसीद प्रदान करना होगा।
37. जहां भी लागू होगा, सामग्री में रिक्तियों /Void की कटौती की जाएगी।
38. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों में, बोलीदाता को OEM या OEM अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और इसका प्रमाण पत्र बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
39. निविदाकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और प्रयोगशाला में उसका परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जावेगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो निष्पादन सुरक्षा राशि जप्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को काली सूची /Black List में डाला जा सकता है।
40. यदि निविदाकार निविदा दस्तावेज में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज, नियम व शर्तें तथा शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को अपलोड नहीं करते हैं तो उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 40.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा /सत्यांकार राशि जप्त की जा सकती है।
- 40.2 उपजाऊ मिट्टी, जैविक खाद, गोबर की खाद और मूरम आदि जैसी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में, सामग्री को वैध स्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 40.3 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है, तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है, तो उसमें से समायोजित की जाएगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है, तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जाएगी।
- 40.4 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
41. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात राशि ₹0 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार रुपये) का प्रतिभूति राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी.आर /ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ऑन लाईन के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल वनमण्डल (सा.) के कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा। हार्ड कॉपी जमा न करने की स्थिति में आपकी ऑन लाईन प्रतिभूति राशि वापस नहीं की जावेगी एवं सामग्री प्रदाय हेतु कार्य आदेश प्रदाय नहीं किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
42. भवन निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सामग्री का गुणात्मक परीक्षण/सत्यापन वन विभाग के अधिकारी द्वारा किया जावेगा। सामग्री गुणवत्तापूर्ण होने पर ही कार्य उपयोग हेतु दिया जावेगा।

43. भवन निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री सीमेन्ट की गुणवत्ता न्यूनतम 43 ग्रेड की होना आवश्यक है।
44. सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का स्वीकृत कार्य आदेश वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है एवं जमा की गई धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी, ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल वनमण्डल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
45. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने की शक्ति वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल के पास होगा।

(श्रद्धा पन्दे)
वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण शहडोल वनमण्डल

अनुलग्नक - 1

प्रारूप: स्वघोषणा - ब्लैक लिस्टिंग प्रमाण पत्र
रु 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

तारीख: दिनांक/माह/वर्ष

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

महोदय/महोदया,

निविदा संदर्भ संख्या.....दिनांकके प्रत्युत्तर में
वनमण्डल दक्षिण शहडोल में भवन निर्माण सामग्री की
आपूर्ति,.....के मालिक/भागीदार/निदेशक के रूप में,

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी / फर्म
..... का रिकार्ड बेदाग है और
उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी
विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी / फर्म
..... काली सूची में नहीं है और न ही निविदा प्रस्तुत
करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और
धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई और न ही अयोग्य
घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव
डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार
की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: -

संगठन की मुहर:-

तारीख:-

स्थान:-

अनुलग्नक - 2

प्रारूप: निविदा में लगाने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1	फर्म का नाम :	
2.	निविदाकार का नाम	
3.	पिता का नाम :-	
4	स्थायी पता :-	
		जिला पिन कोड.....
		मो0 नं0
		मो0 नं0 व्हाट्सएप
		ई-मेल आईडी0
5.	कार्यालय का पूरा पता:-	
		जिला पिन कोड.....
		मो0 नं0
		मो0 नं0 व्हाट्सएप
		ई-मेल आईडी0

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील

घोषणा

मैं.....पिता/पति

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील

अनुलग्नक - 3

प्रारूप: सामग्री प्रदाय हेतु साइट संतुष्टि का प्रमाण पत्र

मैं/हमजानता हूँ /जानते है कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा वनमण्डल दक्षिण शहडोल का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम वनमण्डल के अंदर किसी भी दिये गये स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हमने बोली के लिए आवेदन करने से पहले कार्य/आपूर्ति स्थान का गहन निरीक्षण कर लिया है तथा कार्य स्थल से पूर्णतः संतुष्ट हैं तथा कार्य की सभी स्थितियों को समझ लिया है।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील

अनुलग्नक - 4

पूर्व-योग्यता मानदंड

बोलीदाता के पास निम्नलिखित होना चाहिए:-

1. किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पीएसयू/सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सफलता पूर्वक निष्पादित / कार्य करने का अनुभव :-

अ. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तीन समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा बोली लगाई गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत उन मदों की संभावित राशि के %20 के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए बोलीदाता द्वारा बोली लगाई गई है

या

ब. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दो समान कार्य जिनके लिए बोलीदाता द्वारा बोली लगाई गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत उन मदों की संभावित राशि के %30 के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए बोलीदाता द्वारा बोली लगाई गई है;

या

स. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, बोली लगाने वाले द्वारा जिन मदों के लिए बोली लगाई गई है, उनकी संभावित राशि के %50 के बराबर राशि से कम नहीं कुल लागत का एक समान कार्य;

या

द. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, मध्य प्रदेश में समान मदों में कार्य निष्पादित किया गया हो, जिसकी राशि उन मदों की संभावित राशि के %30 के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए बोलीदाता द्वारा बोली लगाई गई है।

2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार उन वस्तुओं की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए जिनके लिए बोलीदाता द्वारा बोली लगाई गई है।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम टर्नओवर वाली फर्म के टर्नओवर को उपर्युक्त खंड (ii) के तहत मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि बोलीदाता के गठन / निगमन की तारीख 3 साल से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत टर्नओवर को इस मानदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

अनुलग्नक 5

स्वीकृति के पत्र

दिनांकित

प्रति,

M/S.....

(निविदाकार का नाम एवं पता)

विषय:-

-x0x-

प्रिय श्री

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रूपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें :-

- क. रुपये (आंकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रुपये केवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी, के नाम पर प्रतिज्ञा।
- ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

अनुलग्नक 6 संयुक्त उद्यम (जेवी)

अदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:-

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करनी हों:-
 - क. भागीदारी में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा;
 - ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो;
 - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा;
 - घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर खसी, के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में खसफल निविदा के मामले में;
 - ङ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए;
 - च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और
 - छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता (यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।
5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें :-

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

अनुलप्रक 7 अनुबंध (समझौता) प्रपत्र

यह अनुबंध, दिनांक को वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा) और मेसर्स जिला (म.प्र.) (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह समझौता इस प्रकार प्रमाणित है:

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें इसके बाद संदर्भित अनुबंध की शर्तों में क्रमशः दिए गए हैं और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा।
2. नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतानों के मद्देनजर, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, ठेकेदार नियोक्ता के साथ अनुबंध के प्रावधानों के सभी पहलुओं के अनुरूप कार्य निष्पादित करने और पूरा करने का वचन देता है।
3. नियोक्ता इसके द्वारा ठेकेदार को कार्य के निष्पादन और समापन के लिए अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करने का वचन देता है जो अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है।
4. निम्नलिखित दस्तावेज़ इस समझौते के भाग के रूप में तैयार माने जाएंगे और उनका अर्थ लगाया जाएगा।
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. बोलीदाताओं को निर्देश
 - iii. अनुलप्रक 1 से 3
 - iv. मात्रा का बिल और
 - v. निविदा दस्तावेज़ में अनुबंध का हिस्सा बनने के रूप में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस करार को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित कराया है।

सामान्य मुहर इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी
उक्त द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त की
उपस्थिति में: